

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)

दावा संख्या : 34-2018

निर्णय दिनांक-18.12.2018

दीपाराम पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम रोहल साहबसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. अर्जून पुत्र गणपतराम
2. केशर देव पुत्र बिड़दाराम
3. गिरधारी पुत्र बिड़दारा
4. विधाधर पुत्र बिड़दाराम
5. संतरा पुत्री बिड़दाराम
6. सांवरमल पुत्र बिड़दाराम
7. चप्पादेवी पुत्री फुसाराम
8. चावली पुत्री जवाहराराम
9. अणची देवी पत्नि बिड़दाराम
10. तिजुदेवी पत्नि फुसाराम
11. पुरणी देवी पत्नि बुद्धाराम
12. परमेश्वरी पुत्री जवाहराराम
13. बजरंगलाल पुत्र जवाहराराम
14. बाबूलाल पुत्र बुद्धाराम
15. मनोहरी पुत्री फुसाराम
16. मेवाराम पुत्र जवाहराराम
17. मीरादेवी पुत्री फुसाराम
18. रामकुमार पुत्र जवाहराराम
19. सरोज पुत्री बुद्धाराम
20. संतोष पुत्री बुद्धाराम समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम रोलसाहबसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री अशोक माहिचा (वादी की ओर से)

अधि. श्री सुधीर धौलपुरिया (प्रति. संख्या 1, 2, 4 ता 13, 15, 16, 18 ता 20)

प्रकरण वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित है। ग्राम रोहल तहसील रामगढ़ के खसरा नम्बर 210 व 211 कुल रकबा 3.35 है० के विभाजन हेतु दिनांक 13.09.2018 को न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। तहसीलदार रामगढ़ को विवादित आराजी के सहखातेदारों के मध्य विभाजन हेतु मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव

रिकॉर्डेड खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार कृषि भूमि में अपनी आराजी का विभाजन करवाने का अधिकार है एवं सहखातेदारों के मध्य विभाजन किया जाना उचित है। अतः अन्तिम डिक्री पारित की जाकर विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदारों के मध्य तहसीलदार रामगढ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। विभाजन के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	दीपाराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवंशी निवासी रोहल।	210	0.11	बा-2	0.44
		211/2	0.4483	बा-2	1.79
		किता- 02	कुल रकबा 0.5583		2.23

क्र. स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
2	सावरमल केशरदेव गिरधारीलाल विधाधर संतरा पिता बिड़दाराम अणची पत्नि स्व. बिड़दाराम हिस्सा 2/5 अर्जुनराम पिता गणपतराम हिस्सा 1/5 बाबूलाल संतोष सरोज पि. बुद्धाराम पूर्णी देवी पत्नि स्व. बुद्धाराम हिस्सा 2/15 चम्पादेवी मनोहरी मीरा पुत्रियां फूसाराम तीजुदेवी पत्नि फूसाराम हिस्सा 2/15 चावली पत्नि जवाहराराम बजरंगलाल मेवाराम रामकुमार पिता जवाहराराम परमेश्वरी पुत्री जवाहराराम हिस्सा 2/15 जाति मेघवंशी सा. रोहल	211/1	2.7917	बा-2	11.17

निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)